समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | **Monday, 24 August 2026**

भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए हर शनिवार अंचल कार्यालयों मे लंगेगा जनता दरबार, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

RANJEET KUMAR
Published on 22 Aug 2026

[illegible] | [illegible], [illegible] | [illegible]

जहानाबाद जिले में भूमि एवं जमीन से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिला पदाधिकारी **श्रीमती छिरिङ वाई भूटिया** की अध्यक्षता में भूमि विवाद निराकरण से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक **श्री कोटा किरण कुमार** सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी अंचल कार्यालयों में **हर शनिवार पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक भूमि विवाद निराकरण के लिए जनता दरबार** आयोजित किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी और त्वरित मंच उपलब्ध कराना है।

हर शनिवार अंचल कार्यालय में लगेगा जनता दरबार

जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक शनिवार सभी अंचल कार्यालयों में भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई की जाएगी।

जनता दरबार में संबंधित **अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य** रहेगी। इससे भूमि विवादों से जुड़े राजस्व एवं पुलिस पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

उसी दिन भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज होगा आवेदन

जनता दरबार में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की **उसी दिन "भू-समाधान पोर्टल" पर प्रविष्टि** की जाएगी। इससे शिकायतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और मामलों की निगरानी एवं प्रगति की समीक्षा करना आसान होगा।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद **आपसी सहमति और सुलहनामा** के माध्यम से विवादों का समाधान कराने का प्रयास किया जाए।

15 दिनों के भीतर अनुमंडल स्तर पर भेजे जाएंगे लंबित मामले

ऐसे भूमि विवाद जिनका समाधान अंचल स्तर पर संभव नहीं हो पाएगा, उन्हें **15 दिनों के भीतर अनुमंडल स्तर पर अग्रसारित** किया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य भूमि विवादों को अनावश्यक रूप से लंबित होने से रोकना और मामले को उचित स्तर पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है।

अतिक्रमण पर भी होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में अतिक्रमण से जुड़े मामलों को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण हटाने के बाद **स्टेशन डायरी मे इंसकी प्रविष्टि दर्ज** की जाएगी।

यदि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद संबंधित स्थान पर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में **नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई** की जाएगी।

दुर्घटना या आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई

जिला प्रशासन ने दुर्घटना अथवा आपदा की स्थिति में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित **अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई** करने को कहा गया है।

इसके अलावा न्यायालय से संबंधित वादों एवं नोटिसों के तामिला की जिम्मेदारी संबंधित **थानाध्यक्षों** को सौंपी गई है।

प्रशासन ने लोगों से जनता दरबार में पहुंचने की अपील की

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि भूमि अथवा जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत के समाधान के लिए प्रत्येक शनिवार अपने संबंधित **अंचल कार्यालय मे आयोजित जनता दरबार** में पहुंचें।

प्रशासन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर समयबद्ध सुनवाई और दोनों पक्षों की मौजूदगी में समाधान का प्रयास करने से भूमि विवादों को लंबे समय तक लंबित रहने से रोका जा सकेगा।

जहानाबाद जिला प्रशासन ने भूमि विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए हर शनिवार अंचल कार्यालयों मे जंनता दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली सुनवाई में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्राप्त आवेदनों को उसी दिन भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जबकि अंचल स्तर पर समाधान नहीं होने वाले मामलों को 15 दिनों के भीतर अनुमंडल स्तर पर भेजा जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.